संख्या-5 /2017/1107/78-2-2017-42आई.टी./2017

प्रेषक,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
4- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक निकायों परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 12 मई, 2017

महोदय,

उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म https://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय को मा. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनॉक 02 मई, 2017 को बाध्यकारी कर दिया गया है। तद्विषयक शासनादेश की प्रति संलग्न है।

2- सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि को ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु तैयारी के लिए तीन माह का समय है एवं तत्पश्चात ई-टेण्डरिंग प्रणाली अपनाया जाना अनिवार्य होगा, अतएव यह आवश्यक है, कि उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें इस मध्य पूर्ण करा ली जायें। ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु विभागों /कार्यालयों के स्तर पर अपेक्षित कार्यकलाप, इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक-क पर प्रदर्शित हैं।

3- प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में किसी जानकारी हेतु निगम से सम्पर्क किया जा सकता है।

4- अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को विभाग/कार्यालय/ संगठन इत्यादि में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु उपरोक्त कार्यकलाप स-समय सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नकः यथोपरि

1 शासनादेश की प्रति
2 अनुलग्नक 'क'

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

अनुलग्नक 'क'

ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु विभागों/कार्यालयों के स्तर पर अपेक्षित कार्यकलाप

- सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि को, ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु तैयारी के लिए तीन माह का समय है तथा इस प्रयोजन हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, साफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें इस अवधि में पूर्ण करा ली जायें।

- तीन माह के पश्चात्, सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/ विकास प्राधिकरणों/ नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि द्वारा सभी निर्माण कार्यो, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवँ दर अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रेक्ट) हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली अपनाया जाना अनिवार्य होगा।

- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय को कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की स्थापना, ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन (Min 512 KBPS) तथा वॉछनीय एण्टीवायरस सॉफ्टवेयर लोड कराना होगा। यद्यपि ई-टेण्डरिंग प्रणाली, Windows 8 युक्त कम्प्यूटर सिस्टम पर भी कार्य कर सकती है, किन्तु Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रयोजन हेतु सर्वोत्तम है। इसके साथ कम्प्यूटर सिस्टम पर JAVA 7 UPDATE 71, 32 अथवा 64 BIT स्थापित किया जाना होगा। यह सॉफ्टवेयर यूपीएलसी की वेबसाइट **www.uplc.in** के **Downloads Section** में भी उपलब्ध है तथा उसे डाउनलोड किया जा सकता है।

- शासन के सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि के स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना होगा एवं इसके लिए एक कार्यालय ज्ञाप सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा। सम्बन्धित विभाग/ उपक्रम आदि के संगठनात्मक चार्ट की प्रति संलग्न करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति एन.आई.सी. लखनऊ तथा प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को पृष्ठॉकित किया जाना होगा।

- सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा अपना Class-II (Signing and Encryption श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर, बनवाया जाना होगा। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि टेण्डर्स के Encryption हेतु Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक है।

- संगठनात्मक चार्ट, कार्यालय ज्ञाप की प्रति तथा डिजिटल सिग्नेचर लेकर, उस पर यूपीएलसी से एक फॉरवर्डिंग लेटर सहित एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ में अपने विभागीय डिजिटल सिग्नेचर के रजिस्ट्रेशन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं उपस्थित होना होगा।

- यदि सम्बन्धित विभाग/उपक्रम/संगठन इत्यादि के जनपद स्तर पर भी नोडल अधिकारी बनाये जाने की आवश्यकता हो तो उक्त नोडल अधिकारी एन.आई.सी. योजना भवन के अधिकारियों से वार्ता कर इसके लिए भी सुनिश्चित कर लेंगे।

- सम्बन्धित विभाग/उपक्रम/संगठन इत्यादि में जिस स्तर पर क्रय प्रक्रिया किया जाना अपेक्षित हो, उन स्तरों पर क्रय समिति के कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 4 सदस्यों हेतु भी उपरोक्तानुसार Class-II (Signing and Encryption) श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर बनवाये जाने की आवश्यकता होगी।

- नोडल अधिकारी/क्रय समिति के सदस्यों/वेन्डर्स के Class-II (Signing and Encryption) डिजिटल सिग्नेचर्स कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत निम्नलिखित किसी भी सर्टिफाईंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से बनवाये जा सकते हैं:-
    - एन.आई.सी-नई दिल्ली,
    - टीसीएस-मुम्बई,
    - सेफ-स्क्रिप्ट-चेन्नई,
    - आई.डी.आर.बी.टी.,
    - (एन) कोड सॉल्यूशन्स, ई-मुद्रा,
    - सी-डैक, कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा.लि.,
    - एन.एस.डी.एल. टेक्नोलोजी,
    - जी.एन.एफ.सी. अथवा
    - यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
    - शासकीय अधिकारियों के **Class-II** डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने तथा फार्म भरने की विधि यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट **www.uplc.in d Downloads** पृष्ठ पर उपलब्ध है।

- सम्बन्धित विभागों इत्यादि के राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी अथवा जनपद स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा क्रय समिति के सदस्यों को एन.आई.सी. के पोर्टल etender.up.nic.in पर रजिस्टर करना होगा। सम्बन्धित नोडल अधिकारी इसके लिए यूपीएलसी से सम्पर्क कर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

- तत्पश्चात, प्रकाशित किये जाने वाले टेण्डर्स को चिन्हित कर उसके लिए ई-टेण्डर प्रणाली लागू करने हेतु सम्बन्धित विभाग/कार्यालय द्वारा टेण्डर की शब्दावली और विषय-वस्तु में आवश्यक परिवर्तन/परिवर्द्धन करना अपेक्षित होगा। इस प्रयोजन हेतु एन.आई.सी. के पोर्टल etender.up.nic.in के Homepage का अवलोकन कर लिया जाये। Homepage पर Active Tenders को Click करने पर ई-टेण्डर पोर्टल पर सक्रिय समस्त टेण्डर्स की सूची (एक पृष्ठ पर 10 टेण्डर्स) प्रदर्शित हो जायेगी। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 6000 से अधिक टेण्डर्स प्रकाशित हैं। प्रकाशित ई-टेण्डर्स का अवलोकन पोर्टल पर किया जा सकता है। उक्तानुसार, प्रकाशित टेण्डर्स का अवलोकन कर विभाग/कार्यालय इत्यादि से सम्बन्धित टेण्डर में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही सुगमता से की जा सकेगी।

- टेण्डर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं ¼Bidders½] आपूर्तिकर्ताओं ¼Vendors½, कॉन्ट्रैक्टर्स को ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण हेतु शीघ्र ही मण्डल तथा जनपद स्तर पर समितियाँ गठित कर प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ई-टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी सभी जानकारी etender.up.nic.in पोर्टल पर "Information about DSCs", "Frequently Asked Questions", "Bidders Manual Kit", "Help for Contractors" तथा "Downloads" में दी गई हैं, जिनका अवलोकन कर लिया जाये। साथ ही विभागीय अधिकारियों को ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर का विकास, BOQ preparation टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग Tender Evaluation इत्यादि के प्रयोग का भी विस्तृत विवरण पोर्टल पर दिया गया है।